

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] No. 157] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

### शहरी विकास मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2006 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में:-
  - (i) उप-नियम(1) में "व्यक्ति निकायों " शब्दों के स्थान /पर "व्यक्ति-निकाय, फर्माँ, कंपनियों " शब्द रखे जाएंगे ।
  - (ii) उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
    - "(2) प्राधिकरण योजनाओं के अनुरुप तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन नजूल भूमि का व्ययन निम्नलिखित संस्थाओं को नीलामी द्वारा करेगा:-
      - (क) अस्पताल,
      - (ख) औषधालय (डिस्पेंसरी)
      - (ग) नर्सिंग होम
      - (घ) उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान,
      - (इ.) सामुदायिक हॉल,
      - (च) क्लब,
      - (छ) विद्यालय,

परन्तु इस उप-नियम की कोई बात उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय निकाय को भूमि के आवंटन को प्रभावित नहीं करेगी।"

- 3. उक्त नियमों के नियम 5 में;
  - (i) "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर " नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन प्राधिकरण " शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) 👙 स्पष्टीकरण को लोप किया जायेगा ।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "8. निमय 4 के उप नियम(2), नियम 5,6, और 7 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आवंटन ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा जितना कि इन नियमों के यथास्थिति अध्याय-3 या अध्याय-4, के उपबंधों के अनुसार या तो नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा अवधारित किया जाए।"
- 5. उक्त नियमों के नियम 16 में, आरंभिक पैरा में 'व्यक्ति जिनके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग" भी हैं, शब्दों के स्थान पर ''व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं, कम्पनी और फर्म" शब्द रखे जाएगें।
- 6. उक्त नियमों के नियम 20 में, निम्निलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-"परन्तु इस नियम की कोई बात नियम 4 के उपनियम(2) के उपबंधों को लागू नहीं होगी।"
- 7. उक्त नियमों के नियम 42 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएगें अर्थात्ः

"परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, रिहायशी प्रयोजन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नीलामी अथवा निविदा के माध्यम से फ्रीहोल्ड आधार पर नजूल भूमि आबंटित कर सकता है।"

"यह और भी कि फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटन के मामले में आबंटिती प्रारुप ख क में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा । "

8. उक्त नियमों में प्रारुप ख के पश्चात निम्नतिखित प्रारुप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः

### फार्म ख क (नियम 42 देखें) हस्तांतरण विलेख

(नीलामी अथवा निविदा के जरिए फ्री<mark>होल्ड आधार पर आबंटित रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों</mark> के लिए )

यह हस्तातरण विलेख एक पक्षधर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे दिल्ली विकास
प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली के जरिए विक्रेता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती
तथा समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो)और दूसरे पक्षकार के
रुप में श्री/श्रीमती/मैसर्स निवासी
तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समन्देशिती भी शामिल
होंगे) के बीच किया गया ।
तारीखके अधीन रुपएका प्रतिफल लेकर क्रेता को आबंटित किया
गया था जो कि उक्त आबंटन पत्र में उल्लिखित सीमान निबंधनों और शर्ती के अध्यधी प्राप्त किया गया है
्राचा चा वा वि विव विवस्त वाववन्त चुनु न वारताच्या सामार्थ त्ववदात्त वार श्रीतः वर अव्यवह प्राया विवा स्वा ह
और उक्त आबंटन अब भी वैध तथा कायम है और उक्त क्रेता ने विक्रेता को उसे आवंटित की गई उक्त
संपत्ति, जिसका वास्तविक कब्जा उन्हें तारीखको सौंपा गया था, में फ्रीहोल्ड स्वामित्व
अधिकारों के लिए अंतरण विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया है तथा उसमें आगे दी गई शर्तों व
निबंधनों के अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में यह विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है ।
निषयमा के अयान अपत संपात्त के संबंध में यह विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है।
राद करार दस बात का साधी है कि थातंत्रन के समूरा संदल का/पालों
यह करार इस बात का साक्षी है कि आवंटन के समय संदत्तरा०(शब्दों मेंरा०)की राशि(जिसकी
· 101101414141414141414141414141414141414
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट सं0में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय,
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट सं0में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्मोचन और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट सं0में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्मोचन और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।  1. विक्रेता उक्त संपत्ति में या उसके अन्तर्गत सभी खानों और खनिज पदार्थों को, चाहे वे किसी भी
प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरुप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लाट सं0में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्मोचन और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।

पाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी समय प्रवेश कर सकें और उक्त संपत्ति के अन्तर्गत या उस पर या विक्रेता की भूमि से संलग्न किसी भूमि पर

उक्त खानों और खनिज पदार्थों को ले जा सकें तथा उक्त समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग की सतृह का और उस संपत्ति के अंतर्गत आने वाले किन्ही भवनों या उस पर इसके बाद बनाए जाने वाले भवनों का निर्धारण कर सकें ताकि आदेशानुसार उसकी ओर से किए गए नुकसान के लिए क्रेता को उचित मुआवजा दिया जा सके बशर्ते उक्त संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व या देय अन्य करों का भुगतान कर दिया गया हो, जो विधिपूर्ण रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में देय हो या देय हो सकते हों, और सभी सार्वजनिक अधिकार या उससे प्रभावित होने वाले भोगाधिकार भी दे दिए गए हों।

- 2. संपत्ति के इस विलेख के पूरा होते हुए भी, मास्टर प्लान/जोनल विकास प्लान/ले-आउट प्लान के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- 3. क्रेता भवन, जल-निकास संबंधी तथा समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवर्त अन्य प्राधिकरणों के उप-नियमों का अनुपालन करेगा ।
- 4. उक्त प्लाट का आवंटन 'यथावत' आधार पर किया जाता है तथा क्रेता द्वारा इस प्लाट में अथवा उसके आसपास कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/अतिक्रमण/अवैध निर्माण विक्रेता(डीडीए) की लिखित अनुमित के बिना नहीं किया जा सकता जो इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कुछ शर्तों व निबंधनों के अध्याधीन मंजूर भी कर सकते हैं।

सभी प्रकार के शुल्क, कर, प्रभार, निर्धारण, नगरपालिका अथवा अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रभार को आवंटिती/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

- 5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस विलेख को किसी तथ्य को छिपाकर या गलत और गुमराह करने वाले ब्यौरे देकर या कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तो विक्रेता की ओर से यह विलेख अमान्य हो जाएगा तथा विक्रेता को इस विलेख को रद्द करने तथा क्रेता द्वारा अदा की गई राशि को जब्त करने का अधिकार होगा । इस संबंध में विक्रेता का विनिश्चय अंतिम तथा क्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जाएगा ।
- क्रेता द्वारा आवंटन/नीलामी/निविदा की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा ।
- 7. विक्रेता को आवंटन/नीलामी/निविदा अथवा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में इस विलेख को रह करने का अधिकार होगा।
- 8. इस लिखत के संबंध में स्टाम्प डूयूटी तथा रिजस्टरीकरण प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे । यह हस्तांतरण इस विलेख के रिजस्टरीकरण की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा ।

	इसके साक्ष्यस्वरुप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को श्री ओर से तथा विक्रेता के आदेश और निर्देश के अनुसार उसके हस्त मती	गक्षर करवाएं हैं तथा क्रेता
	अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है	
वर्ग मी प्लाटों र	आवासीय प्लाट सं0के ले-आउट प्लान में ./गजके ले-आउट प्लान में से घिरा है:-	माप है और जो निम्नलिखित
	भूखण्ड के उत्तर में भूखण्ड के पूर्व में भूखण्ड के दक्षिण में भूखण्ड के पश्चिम में	है। है।
श्री/श्रीग	भारत के राष्ट्रपति(विक्रेता) की ओर से तथा उनके आदेश नतीे हस्त	तथा निदेश के अनुसार ताक्षर किए।
		(विक्रेता)
1.	श्री/श्रीमती की श्री/श्रीमतीने ह	
	निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:-	(क्रेता)
1.	श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती	
	***************************************	

[फा. सं. के-20013/4/2006/डीडीवीए] पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

िट्पण:- मूल नियम सं.सा.का-नि. तारीख 26 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं0(1) सा.का-नि. 97 तारीख 27 जनवरी, 1989(2)सा.का.नि. 677(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1991(3) सा.का.नि. 486(अ) तारीख 5 जुलाई, 2002(4) सा.का.नि. 806(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2002 और(5) सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

1164 GT/2006-2

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of subsection (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Development Nazul Land) Rules, 1981, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land)
  Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4. -
  - (i) in sub-rule 1, for the words "body of persons", the words "body of persons, firms, companies," shall be substituted;
  - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the Nazul land by auction to the following institutions:
    - a) hospitals;
    - b) dispensaries;
    - c) nursing homes;

- d) higher or technical education institutions;
- e) community halls;
- f) clubs;
- g) schools:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory and the local body for the said purpose."

- 3. In the said rules, in rule 5, -
  - (i) for the words "The Authority may", the words "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, the Authority may" shall be substituted;
  - (ii) the Explanation shall be omitted.
- 4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, 6 and 7, allotment of Nazul land for any purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."
- In the said rules, in rule 16, in the opening paragraph, for the words "individuals, including the following categories of individuals", the words "individuals including the following categories of individuals, companies and firms" shall be substituted.
- 6. In the said rules, in rule 20, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to the provisions of sub-rule (2) of rule 4.".

7. In the said rules, in rule 42, the following provisions shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this rule, the Authority may allot Nazul land on free hold basis either through auction or by tender for residential purpose or commercial purpose:

Provided further that in the case of allotment on free hold basis, the allottee shall execute a conveyance deed in Form BA."

8. In the said rules, after Form B, the following form shall be inserted, namely:-

### **FORM BA**

### (See rule 42)

### **CONVEYANCE DEED**

## (For Residential and Commercial Properties allotted on Freehold basis through Auction or Tender)

This deed of	of conveya	nce made	on this				day	
of	•••••••	between	Presiden	t of Indi	a, here	einafter calle	d "THE	
VENDER" th	rough DDA	, Vikas Sad	dan, New	Delhi (w	hich ex	pression shal	l unless	
excluded by	or repugna	nt to the co	ntext be	deemed	to inclu	de his succe	ssors in	
office	and	assigns)of	th th	ne	one	part	and	
Shri/Smt/M/S	3			R/o				
		her	einafter	called	"The	purchaser"	(which	
expression s	hall unless	excluded l	by or rep	ugnant to	the co	ontext be dea	med to	
include his/her heirs, administrators, representatives and permitted assigns) of								
the other par	t.					,		
WHEDEAS						,		
situated in						was allotted	to the	
purchaser by			-			tter No.F	` '	

	(i	Rupees			***********	)	which	ha	as t	een	receiv	/ed
subject	to	limitation,	terms	and	conditions	me	ntioned	in	the	said	letter	of
allotmer												

NOW 1	THIS INDENT	URE WITNES	SSES THA	AT in co	nsideratio	n of th	e sum	of Rs	
	· (Rupees								
	ent								
	******************	)	was paid	d before	the exe	cution	here	of (the	
receipt	receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges), the aforesaid								
represe	representation and subject to limitation mentioned hereinafter, the Vendor do								
hereby	grants, conve	ys, sells, rele	ases and	transfer	s, assign	s and a	assure	sunto	
the	aforesaid	purchaser	free	nold	owner	ship,	in	the	
Schem	e	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		F	Plot	No			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-							

- 1. The Vendor excepts and reserves unto himself all mines and minerals of whatever nature lying in or under the said property together with full liberty at all times for the Vendor, its agents and workmen, to enter upon all or any part of the property together to search for, win, make merchantable and carry away the said mines, and minerals under or upon the said property or any adjoining lands of the vendor and to lay-down the surface of all or any part of the said property and any building under or hereafter to be erected thereon making fair compensation to the purchaser for damage done unto him thereby, subject to the payment of land revenue or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of the said property and to all public rights or easement affecting the same.
- 2. That notwithstanding execution of this Deed, use of the property in contravention of the provisions of Master Plan/Zonal Development Plan/Layout plan shall not be deemed to have been condoned in any manner and Delhi Development Authority shall be entitled to take appropriate action for contravention of Section 14 of Delhi Development Act or any other law for the time being in force.
- 3. The purchaser shall comply with the building, drainage and other byelaws of the appropriate Municipal or other authorities for the time being in force.
- 4. The said plot is allotted on the basis of 'as is' and the purchaser cannot make any alteration/addition/encroachment/unauthorized construction in or

ln.

(vendor)

witness

around the same without written permission of Vendor (DDA) who may refuse or grant the same subject to such terms and conditions as deems proper.

All fees, taxes, charges, assessments, Municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be born by the allottee/purchaser.

- 5. If it is discovered at any stage that the allotment or this deed has been obtained by suppression of any fact or by any misstatement, misrepresentation or fraud, then this deed shall become void at the option of the vendor, which shall have the right to cancel this deed and forfeit the consideration paid by the purchaser. The decision of the vendor in this regard shall be final and binding upon the purchaser and shall not be called in question in any proceedings.
- 6. That the purchaser shall abide by the terms and conditions of allotment/auction/tender, which shall be treated as a part of these presents.
- 7. That the vendor reserves the right to cancel this deed in event of breach of conditions of allotment/auction/tender and of this deed.
- 8. The stamp duty and registration charges upon this instrument shall be borne by the purchaser.

This transfer shall be deemed to have come into force with effect from the date of registration of the deed.

where

of

For and on behalf of and by the order and on set his/her hand Shri/Smt / M/s	the
THIS SCHEDULE ABOVE	REFERRED TO
All that	in the layout plan of and ard Area) or thereabouts
NORTH EAST SOUTH WEST	
\$igned by Shri/Smt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(VENDOR)

Shri/Smt

In the presence of: (1)Shri/Smt			
Signed by Shri/Smt			
	•	• .	( PURCHASER)
In the presence of: (1)Shri/Smt(2)Shri/Smt	············	y• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

[F. No. K-20013/4/2006/DDVA] P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R 872, dated the 26<sup>th</sup> September, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 97, dated the 27<sup>th</sup> January, 1989, (2) G.S.R. 677 (E), dated the 11<sup>th</sup> November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5<sup>th</sup> July, 2002, (4) G.S.R. 806 (E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2002, and (5) G.S.R. 801 (E), dated the 9<sup>th</sup> December, 2004.